नेशनल लोक अदालत दिनांक : 08/07/2017

वादी द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता। प्रतिवादी श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर विचार हेतू नियत है।

दिनांक : 20/06/2017 को वादी नवल किशोर पुत्र रामगोपाल व्यास, निवासी :— वार्ड क्रमांक 15 गोहद तथा प्रतिवादी श्यामसुन्दर व्यास पुत्र रामगोपाल व्यास, निवासी :— वार्ड क्रमांक 14 गोहद, ने उनके अधिवक्तागण श्री ए.बी.पाराशर एवं हृदेश शुक्ला के साथ उपस्थित होकर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया था। वादी की पहचान श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी की पहचान श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता द्वारा की गई थी।

पूर्व नियत तिथि पर वादी नवल किशोर के राजीनामा कथन अंकित किया गया था।

वादी नवल किशोर के राजीनामा कथन एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन का अवलोकन किया गया।

वादी नवल किशोर ने उसके राजीनामा कथन एवं राजीनामा में यह व्यक्त किया है कि उसका उसके बड़े भाई प्रतिवादी श्यामसुन्दर से वादग्रस्त भवन स्थित वार्ड क्रमांक 14 कस्बा गोहद के संबंध में राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा उनके द्वारा बिना किसी भय, दबाब या प्रलोभन के स्वेच्छापूर्वक किया गया है। वादी द्वारा उसके कथनों में यह भी व्यक्त किया गया कि उक्त राजीनामा के अनुसार उसने वादग्रस्त भवन के दक्षिण में स्थित उसके आधे हिस्से के प्रतिफल स्वरूप 1,50,000/— रूपये नगद प्रतिवादी श्यामसुन्दर से प्राप्त कर लिये है। उसने प्रतिवादी श्याम सुन्दर के पक्ष में वादग्रस्त भवन में निहित उसके समस्त स्वत्व एवं आधिपत्य का त्याग कर दिया है और उसका रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी श्याम—सुन्दर को प्रदान कर दिया है। नवल किशोर का उसके कथन में यह भी कहना है कि उसका वादग्रस्त भवन भाग में अब कोई स्वत्व एवं आधिपत्य शेष नहीं है और अब से प्रतिवादी श्याम सुन्दर वादग्रस्त भवन भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होगा। फलतः उक्त राजीनामे के आलोक में वह उसका वाद वादग्रस्त भवन भाग के संबंध में चलाना नहीं चाहता, इसलिए उसका वाद इसी प्रास्थित पर निरस्त कर दिया जाये।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाब या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मति से किया गया प्रतीत होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नही है। फलतः वादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं और उसका वाद उक्त राजीनामे के आलोक में वादग्रस्त भवन भाग के संबंध में निरस्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति निर्मित की जाये।

वादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20/06/2017, उसका राजीनामा कथन एवं इस प्रकरण की आज दिनांक : 08/07/2017 की आदेश पत्रिका आज्ञप्ति का अभिन्न भाग होगीं।

उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें।

अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी ''अ'' में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

01. ए.बी. पाराशर अधिवक्ता (सदस्य)

(पंकज शर्मा)

02. राकेश चन्द्र गुप्ता अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड